न्यायालय अति0 जिला कलक्टर एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट चूरू

पीठासीन अधिकारी लोकेश कुमार गौतम (आर.ए.एस)

इस्तगासा संख्या 2022 / 12 **दायर दिनांक 31.03.2022**

राजस्थान सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक चूरू जिला चूरू (राजस्थान) **–सायल–**

बनाम

शिवभगवान सैनी पुत्र भंवरलाल जाति माली उम्र 32 साल निवासी वार्ड नम्बर 39 सरदारशहर पुलिस थाना सरदारशहर जिला चूरू। **–गैरसायल–**

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3 राज. गुण्डा नियन्त्रण अधि0 1975

उपस्थित :–

1. **अभियोजन अधिकारी (पैरोकार राज.) वास्ते सायल**

निर्णय **दिनांक : 16.01.2023**

यह इस्तगासा पुलिस अधीक्षक चूरू द्वारा प्रस्तुत होने पर इस न्यायालय में जिला मजिस्ट्रेट चूरू से स्थानान्तरित होकर प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। इस्तगासा के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है गैरसायल शिवभगवान सैनी पुत्र भंवरलाल जाति माली उम्र 32 साल निवासी वार्ड नम्बर 39 सरदारशहर पुलिस थाना सरदारशहर जिला चूरू सट्टा की खाईवाली करने का आदी है। समाज के नव युवकों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। गैरसायल के उक्त कृत्य पर अंकुश लगाया जाना आवश्यक है। गैरसायल के विरूद्ध निम्नांकित मुकदमें दर्ज होकर सजायाब हुआ है :–

क.स.	मुकदमा न0 एवं दिनांक	जुर्म धारा	जे.एफ. नम्बर	फैसला अदालत
1.	89 / 16.03.2017	13 आर.पी.जी.ओ एक्ट	251 / 2017	सजा 06.07.2017
2.	201 / 24.05.2017	13 आर.पी.जी.ओ एक्ट	–	न्यायालय में विचाराधीन
3.	491 / 19.11.2017	13 आर.पी.जी.ओ एक्ट	793 / 2017	सजा 14.12.2017
4.	446 / 24.10.2017	13 आर.पी.जी.ओ एक्ट	810 / 2017	सजा 16.12.2017
5.	514 / 09.12.2017	13 आर.पी.जी.ओ एक्ट	59 / 2018	सजा 17.01.2018
6.	242 / 10.06.2018	13 आर.पी.जी.ओ एक्ट	66 / 2018	सजा 02.07.2018
7.	85 / 12.02.2019	13 आर.पी.जी.ओ एक्ट	291 / 2019	सजा 22.04.2019
8.	511 / 20.02.2019	13 आर.पी.जी.ओ एक्ट	912 / 2019	सजा 15.11.2019
9.	536 / 03.10.2019	13 आर.पी.जी.ओ एक्ट	–	–
10.	567 / 19.10.2019	13 आर.पी.जी.ओ एक्ट	998 / 2019	सजा 09.12.2019
11.	90 / 02.03.2020	13 आर.पी.जी.ओ एक्ट	329 / 2020	सजा 14.09.2020
12.	190 / 01.07.2020	13 आर.पी.जी.ओ एक्ट	–	न्यायालय में विचाराधीन
13.	302 / 06.08.2020	13 आर.पी.जी.ओ एक्ट	381 / 2020	सजा 03.11.2020
14.	396 / 19.09.2020	13 आर.पी.जी.ओ एक्ट	73 / 2021	22.01.2021
15.	434 / 15.10.2020	13 आर.पी.जी.ओ एक्ट	–	न्यायालय में विचाराधीन
16.	43 / 21.01.2021	13 आर.पी.जी.ओ एक्ट	–	न्यायालय में विचाराधीन
17.	129 / 09.03.2021	13 आर.पी.जी.ओ एक्ट	–	न्यायालय में विचाराधीन
18.	285 / 07.06.2021	13 आर.पी.जी.ओ एक्ट	–	न्यायालय में विचाराधीन
19.	428 / 23.08.2021	13 आर.पी.जी.ओ एक्ट	–	न्यायालय में विचाराधीन

अतिरिक्त जिला कलक्टर, चूरू

2022/12

सरकार जरिये पुलिस अधिक्षक चूरू बनाम शिवभगवान सैनी

जिला पुलिस अधीक्षक चूरू ने गैरसायल शिवभगवान सैनी पुत्र भंवरलाल जाति माली उम्र 32 साल निवासी वार्ड नम्बर 39 सरदारशहर पुलिस थाना सरदारशहर जिला चूरू के विरूद्ध धारा 3(3) राज0 गुण्डा नियन्त्रण 1975 के अन्तर्गत कार्यवाही करने का निवेदन किया।

गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया गया। तामिल होने के उपरान्त ना ही गैरसायल स्वयं और ना ही गैरसायल की ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित आये। इसलिए गैरसायल के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

पैरोकार राज अभियोजन अधिकारी चूरू ने उपस्थित होकर अपनी बहस में कहा कि इस्तगासे के अनुसार गैरसायल के विरूद्ध 19 बार, 13 RPGO के अन्तर्गत दोष प्रमाणित है। गैरसायल अन्तर्गत धारा 3(3) राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1975 की परिभाषा में आता है। गैर सायल अपराधी गतिविधियों में भाग लेता है इसलिए गैरसायल को जिले से बाहर निष्कासित किया जावें ताकि समाज में शांति व्यवस्था कायम रह सके।

पैरोकार राज अभियोजन अधिकारी चूरू की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का भली–भान्ति अवलोकन किया गया। इस्तगासे के अनुसार गैरसायल के विरूद्ध 19 मुकदमें 13 आर.पी.जी.ओ. में दिनांक 16.03.2017, 24.05.2017, 19.11.2017, 24.10.2017, 09.12.2017, 10.06.2018, 12.02.2019, 20.02.2019, 03.10.2019, 19.10.2019, 02.03.2020, 01.07.2020, 06.08.2020, 19.09.2020, 15.10.2020, 21.01.2021, 09.03.2021, 07.06.2021, एवं 23.08.2021 के अनुसार प्रमाणित है। इस प्रकार राजस्थान गुण्डा एक्ट नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा (3)(3) के अन्तर्गत गैरसायल गुण्डा की परिधि में आता है।

उपर्युक्त विवेचना के परिपेक्ष्य में पुलिस अधीक्षक चूरू द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा धारा 3 राजस्थान गुण्डा एक्ट नियन्त्रण अधिनियम, 1975 विरूद्ध गैरसायल शिवभगवान सैनी पुत्र भंवरलाल जाति माली उम्र 32 साल निवासी वार्ड नम्बर 39 सरदारशहर पुलिस थाना सरदारशहर जिला चूरू स्वीकार किया जाता है तथा गैरसायल शिवभगवान सैनी पुत्र भंवरलाल जाति माली उम्र 32 साल निवासी वार्ड नम्बर 39 सरदारशहर पुलिस थाना सरदारशहर जिला चूरू को 01 माह के लिए थाना क्षेत्र से बाहर निर्वासित किया जाता है। थानाधिकारी पुलिस थाना सरदारशहर गैरसायल शिवभगवान सैनी को थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली चूरू को सुपुर्द करेंगे जो कि थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली चूरू की देखरेख में 01 माह के लिए रहेगा एवं माह के प्रत्येक सोमवार को थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली चूरू में हाजरी देने हेतु उपस्थित होगा। निर्णय की प्रति पालना हेतु थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली चूरू व थानाधिकारी पुलिस थाना सरदारशहर तथा पुलिस अधीक्षक चूरू को भेजी जावें। पत्रावली बाद कार्यवाही अभिलेखागार भिजवायी जावे।

निर्णय आज दिनांक 16.01.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

16/1

अति० जिला कलक्टर एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट, चूरू (राज.)

(लोकेश कुमार गौतम)
अति0 जिला कलक्टर एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, चूरू
अतिरिक्त जिला कलक्टर, चूरू